न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
जिला–नागौर

बइजलास –रजत, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 07/2025

प्रार्थीगणः–

1. हडमानराम पुत्र श्रवणराम जाति राईका
2. कलाराम पुत्र श्रवणराम जाति राईका
3. हाबूदेवी पुत्री चुन्नीलाल जाति मेघवाल
4. किसनाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट
5. रणजीत पुत्र सालगराम जाति मेघवाल
6. लिछमा पत्नि सालगराम जाति मेघवाल
7. रूघनाथ पुत्र पेमाराम जाति जाट
8. रेखाराम पुत्र जंवराराम जाति जाट
9. खेमाराम पुत्र भागीरथ जाति जाट
10. मनीराम पुत्र किसनाराम जाति जाट
11. छोटूराम पुत्र भागीरथ जाति जाट
12. मोहनी पत्नि छोटूराम जाति जाट
13. कानाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट
14. मोहनराम पुत्र रूघाराम जाति जाट
15. ओमप्रकाश पुत्र रामदीन जाति जाट
16. सतपाल पुत्र सांवतराम जाति जाट
17. चुकीदेवी पुत्नी सांवतराम जाति जाट
18. शांति देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट
19. नारायणी देवी पत्नी राजाराम जाति जाट
20. गीता देवी पत्नी रेखाराम जाति जाट
21. जयराम पुत्र डूंगाराम जाति जाट
22. अशोक पुत्र डूंगाराम जाति जाट
23. शांति देवी पत्नी रिद्धकरण जाति जाट
24. सुमो पुत्र रिद्धकरण जाति जाट
25. केशरदेवी पत्नी बालूराम जाति जाट
26. रामचन्द्र पुत्र चुनाराम जाति जाट
27. शिवकुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासीगण जायल तहसील जायल जिला नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. बालूराम पुत्र भैरूराम जाति जाट

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल

2. दोलाराम पुत्र रामदीन जाति जाट निवासीगण जायल तहसील जायल जिला नागौर
3. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा जायल
4. मैनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जायल
5. मैनेजर स्टेट बैंक आफ इण्डिया जायल
6. मैनेजर आईसीआईआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा रोल
7. तहसीलदार साहब जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा प्राथीगण संख्या 1 से 27 पक्ष की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री मुकेश बिडियासर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. अधिवक्ता श्री गोविंदराम ढाका अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
4. अप्रार्थी 3 से 6 बैंक फार्मल पक्षकार।
5. अप्रार्थी संख्या 7 राजपैरोकार।

– : : आदेश : : –

दिनांक:– 29/08/2025

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा जायल में खसरा नम्बर 5158/2105 रकबा 0.8135 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5155/2105 रकबा 0.8134 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2107 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2108 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2109 रकबा 2.2581 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2163 रकबा 2.7519 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2161 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2160 रकबा 1.7968 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2148 रकबा 3.6017 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5707/4903 रकबा 4.5810 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2150 रकबा 3.7231 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4405/2157 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4404/2149 रकबा 1.3112 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2157 रकबा 1.3031 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2144 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2152 रकबा 1.6592 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2142 रकबा 4.2492 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2154 रकबा 1. 8211 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4981/2155 रकबा 0.0893 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4982/2155 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5543/2147 रकबा 0.6313 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3116/2146 रकबा 1.9425 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2146 रकबा 2.4119 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5544/2147 रकबा 0.6313 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3120/2147 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5709/4903 रकबा 1.9424 हैक्टेयर रहते चले आय है। प्रार्थीगण जायल से छाजोली जाने वाली आम डामर सड़क से खसरा नम्बर 5248/4866

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

अप्रार्थी संख्या 1 बालूराम के खेत से होकर अपने खेतों में आना जाना करते है जो अर्सा कदमी समय से इसी रास्ते से प्रार्थीगण का आना–जाना हो रहा है तथा गाड़ी छकड़ा टेक्टर टोली लाना ले जाना हो रहा है। प्रार्थीगण जो लगभग 20–22 खेतों मे आने जाने हेतु कदमी समय से यही एक मात्र रास्ता प्रार्थीगणों के खेतों में आने जाने व खेती कार्य तथा टेक्टर टोली आदि लाने ले जाने हेतु यही एक मात्र रास्ता है जो सबसे नजदीक रास्ता यहीह" इस रास्ते के सिवाय प्रार्थीगणों के अन्य कोई रास्ता अपने खेतों में आने जाने हेतु नही है परन्तु अभी – अभी अप्रार्थी संख्या 1 बालूराम ने उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थीगणों के आने जाने में बाधा उत्पन्न हो गई है तथा प्रार्थीगण 1 लगायत 28 अपने अपने खातेदारी खेत में से उक्त कदमी रास्ते में अपनी भूमि स्वैच्छा से रास्ता उपयोग में छोड़ रहे है जो राजस्व रेकॉर्ड में कट्टणी रास्ता दर्ज हो। प्रार्थीगण माफिक नजरीनक्शानुसार मार्क ए से बी व बी से सी आम कट्टणी रास्ता घोषित करवाना चाहते है तथा माफिक नजरी नक्शानुसार प्रत्येक खेत में से 16 फुट चौड़ाई में रास्ता व दोनों तरफ यदि अलग अलग खेत है तो उस परिस्थति में 8–8 फुट मिलाकर 16 फुट का रास्ता घोषित किया जाना अति आवश्यक है। जो माफिक नजरीनक्शानुसार कट्टाणी रास्ता घोषित किया जाना अति आवश्यक है। रास्ते की भूमि नजरीनक्शा में मार्क ए से बी व बी से सी दर्शाई हुई है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि में से रास्ता घोषित किया जाना आवश्यक है। जो माफिक नजरीनक्शानुसार रास्ते की भूमि घोषित की जानी न्याय संगत है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 कि ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बिडियासर ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविंदराम ढाका ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब पेश किया एवं नजरी नक्शा अनुसार रास्ता हेतु सहमति दी। अप्रार्थी संख्या 3 से 6 बैंक परफोर्मा पक्षकार। अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार जायल को प्रकरण हाजा में मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई।

3. तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट दिनांक 07.05.2025 को प्राप्त हुई। जो पत्रावली पर ली गई। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थीगण के खेत में जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। वर्तमान में प्रस्तावित रास्ता कटाणी रास्ते से सबसे नजदीक दूरी का है। रास्ते हेतु वांछित/प्रस्तावित भूमि पर कोई कच्चा/पक्का निर्माण किया हुआ नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता में खसरा नं. 5258/4866 इसमें से 194 मीटर लम्बाई व 4.88 मीटर चौडाई अर्थात 946.72 वर्ग मीटर भूमि , खसरा नम्बर 5158/2105 में से 80 मीटर लम्बाई व 4.88 मीटर चौडाई अर्थात 390.40 वर्ग मीटर भूमि , खसरा नम्बर 5155/2105 में से 72 मीटर लम्बाई व 4.88 मीटर चौडाई अर्थात 351.36 वर्गमीटर भूमि , खसरा नम्बर 2107 में से 96 मीटर लम्बाई व 4.88 मीटर चौडाई अर्थात 468.48 वर्गमीटर भूमि , खसरा संख्या 2109 में से 65 मीटर लम्बाई व 2.44 मीटर चौडाई अर्थात 158.60 वर्गमीटर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

भूमि , खसरा संख्या 2108 में से 59 मीटर लम्बाई व 2.44 मीटर चौडाई अर्थात 143.96 वर्गमीटर भूमि , खसरा संख्या 2161 में से 664 वर्गमीटर , खसरा संख्या 2163 में से 768 वर्गमीटर भूमि , खसरा संख्या 5707/4903 में से 1649 वर्गमीटर बिन्दू संख्या ए से सी तक की दूरी 102 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा अर्थात, खसरा संख्या 2160 में से 244 मीटर लम्बाई व 2.44 मीटर चौडाई अर्थात 595.36 वर्गमीटर भूमि , खसरा नम्बर 2148 में से 517 वर्गमीटर भूमि, खसरा नम्बर 4405/2157 में से 42 मीटर लम्बाई व 4.88 मीटर चौडाई अर्थात 204.96 वर्गमीटर भूमि , खसरा नम्बर 2150 में से 1103 वर्गमीटर भूमि, खसरा संख्या 2157 में से 400 वर्गमीटर भूमि , खसरा नम्बर 2144 में से 1168 वर्गमीटर भूमि , खसरा नम्बर 2152 में से 578 वर्गमीटर भूमि, खसरा नम्बर 2154 में से 106 मीटर लम्बाई व 4.88 मीटर चौडाई अर्थात 517.28 वर्गमीटर भूमि , खसरा नम्बर 4981/2155 में से 54 मीटर लम्बाई व 4.88 मीटर चौडाई अर्थात 263.52 वर्गमीटर भूमि, खसरा नम्बर 4982/5155 में से 53 मीटर लम्बाई व 4.88 मीटर चौडाई अर्थात 258.64 वर्गमीटर भूमि , खसरा संख्या 2142 में से 498 वर्गमीटर भूमि ,खसरा संख्या 4404/2149 में से 75 मीटर लम्बाई व 4.88 मीटर चौडाई अर्थात 366 वर्गमीटर भूमि, खसरा संख्या 5544/2147 में से 52 मीटर लम्बाई व 4.88 मीटर चौडाई अर्थात 253.76 वर्गमीटर भूमि , खसरा संख्या 5543/2147 में से 72 मीटर लम्बाई व 4.88 मीटर चौडाई अर्थात 351.36वर्ग मीटर , खसरा संख्या 3120/2147 में से 122 मीटर लम्बाई व 4.88 मीटर चौडाई अर्थात 595.36 वर्गमीटर भूमि , खसरा संख्या 3116/2146 में से 110 मीटर लम्बाई व 4.88 मीटर चौडाई अर्थात 536.80 वर्गमीटर भूमि, खसरा संख्या 2146 में से 140 मीटर लम्बाई व 4.88 मीटर चौडाई अर्थात 683.20 वर्गमीटर भूमि तथा खसरा संख्या 5709/4903 में से 347.74 वर्गमीटर भूमि आती है। ग्राम जायल की डीएलसी का 2 गुणा 39986 रूपये बनती है।

4. हस्तगत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बिडियासर ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित पैरा संख्या 1 से 9 को सही होना स्वीकार किया है। तथा अप्रार्थी 2 की ओर से अभिभाषक श्री गोविदराम ढाका ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज सही होना स्वीकार किया है।क्यूंकि उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत है । जो कि संक्षिप्त कार्यवाही के तहत आते है। तथा प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही (मौका रिपोर्ट व अप्रार्थीगण को सूचना) पूर्ण हो चूकी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का ईकबालिया जवाब प्राप्त होने व अप्रार्थी संख्या 3 से 7 परफोर्मा पक्षकार होने व तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से पत्रावली में अंतिम बहस व तहसीलदार रिपोर्ट अवलोकन हेतु तारिख पेशी नियत की गई।

5. तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए निकटतम रास्ता प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही है। तथा इसके

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

अलावा अन्य कोई नजदीकी दूसरा रास्ता नहीं है। मौका रिपोर्ट दिनांक 07.05.2025 में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता कटाणी रास्ते से सबसे नजदीक रास्ता होने का अंकन है साथ ही मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना भी अंकित किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क प्रावधान के अनुसार किसी भी काश्तकार/खातेदार को रास्ता की आत्यान्तिक रास्ता की आवश्यकता होने तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में कटाणी रास्ते से सबसे नजदीकी व कम दूरी के रास्ते के उपभोग में आने भूमि के एवज में डीएलसी दर की दुगुनी प्रतिकर राशि भुगतान पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

6. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा वांछित खसरान में तहसीलदार जायल के मार्फत प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शे अनुसार कृषि कार्य के लिए कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता प्रतीत होती है तथा रास्ते का अभाव हस्तगत प्रकरण में सिद्ध पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 07.05.2025 में वर्णनानुसार अप्रार्थीगण के खेत खसरान में से माफिक नजरी नक्शा एवं तकमीना वर्तमान नवीनतम डी.एल. सी. दर से प्रतिकर राशि के एवज में रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थीगण के जायल में खसरा नम्बर 5158/2105, खसरा नम्बर 5155/2105, खसरा नम्बर 2107, खसरा नम्बर 2108, खसरा नम्बर 2109, खसरा नम्बर 2163, खसरा नम्बर 2161, खसरा नम्बर 2160, खसरा नम्बर 2148, खसरा नम्बर 5707/4903, खसरा नम्बर 2150, खसरा नम्बर 4405/2157, खसरा नम्बर 4404/2149, खसरा नम्बर 2157, खसरा नम्बर 2144, खसरा नम्बर 2152 , खसरा नम्बर 2142, खसरा नम्बर 2154, खसरा नम्बर 4981/2155, खसरा नम्बर 4982/2155, खसरा नम्बर 5543/2147 , खसरा नम्बर 3116/2146, खसरा नम्बर 2146, खसरा नम्बर 5544/2147, खसरा नम्बर 3120/2147, खसरा नम्बर 5709/4903 के लिए तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट व पत्रावली में संलग्न माफिक नजरी

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

नक्शानुसार अनुसार डोटेट मार्क ए–बी–सी–डी–ई–एफ–जी के अनुसार स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 07.05.2025 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी। **उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।**

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी से वर्तमान नवीनतम डी.एल. सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक बालूराम पुत्र भैरूराम जाति जाट निवासी जायल को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे।

माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29/08/2025 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

(स्वत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल